राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर –141 / 2022

1. ओमवती पुत्री शिशपाल
2. करन सिंह पुत्र शिशपाल
3. ज्ञानवती पुत्री शिशपाल
4. जमुना देवीपुत्री शिशपाल (मृत्यु)

4/1 धर्मवीर सिंह पुत्र पितराम सिंह
4/2 अनिता चाहर पत्नी शीशराम
4/3 सुधीर कुमार पुत्र पितराम सिंह
4/4 सुमन चाहर पत्नी जयकरण चाहर

5. दुर्गा देवी पुत्री शिशपाल
6. रीनू कुमारी पुत्री महेन्द्र सिंह
7. समाकौर पत्नी शिशपाल
8. सजना पत्नी भगवान सिंह (मृत्यु)

8/1 शिल्पा नेहरा पत्नी कर्मवीर नेहरा
8/2 विनोद देवी पत्नी सत्यवीर कटेवा
8/3 विक्रम सिंह पुत्र भगवान सिंह
8/4 नरेन्द्र कुमार पुत्र भगवान सिंह
8/5 पुष्पा चौधरी पत्नी सुधीर नेहरा
8/6 मनिषा देवी पत्नी नरेन्द्र सिंह

समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी ढीमा तन् हरड़िया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.... आवेदकगण

ब–ना–म

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.............अनावेदक

<u>आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136</u>
<u>भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

–: निर्णय :– **दिनांक : 12–08–2022**

आवेदकगण की ओर से आवेदन पत्र इ[illegible] आश[illegible] का पेश किया गया है कि आवेदकगण ग्राम ढाणी ढीमा के मू[illegible] ढाणी ढीमा तन् [illegible] एवं ग्राम मण्डाना तन् कालोटा तथा ग्राम चुन्दाडा में खाते[illegible]दारी की कृषि भूमि है [illegible] पर आवेदकगण बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे हैं। ढाणी ढीमा तहसील खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 12:16:16 IST
Reason: SelfAttested

स्थित जमाबन्दी संवत् 2075–2078 के खाता संख्या 11 के क्र.सं. 8 में ओम पुत्र शिशपाल दर्ज है जबकि उसका सही नाम ओमवती पुत्री शिशपाल है तथा क्र.स. 11 में कर्ण सिंह पुत्र शिशपाल दर्ज है जबकि उसका सही नाम करन सिंह पुत्र शिशपाल है तथा क्र.सं. 18 में ज्ञाना पुत्र शिशपाल दर्ज है जबकि सही नाम ज्ञानवती पुत्री शिशपाल है तथा क्र.सं. 21 में जिम्मी पुत्र शिशपाल है जबकि उसका नाम जमुना देवी पुत्री शिशपाल है जिसका मृत्यु हो गई जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र एवं सरपंच ग्राम पंचायत केहरपुरा कलां चिड़ावा एवं सरपंच ग्राम पंचायत ढाणी ढीमा तन् हरडित्रया का प्रमाण पत्र सलंग्न है। उक्त जिम्मी पुत्र शिशपाल के स्थान पर जमुना देवी पुत्री शिशपाल मृतक दर्ज कर उसके वारिशान के रूप में आवेदन पत्र में दर्ज क्र.स. 8/1 लगा. 8/6 को दर्ज किया जावे एवं क्र.सं. 24 में दुर्गा पुत्र शिशपाल दर्ज है जबकि सही नाम दुर्गा देवी पुत्री शिशपाल है एवं क्र.सं. 44 पर रेणू पुत्री महेन्द्र दर्ज है जबकि उसका सही नाम रीनू कुमारी पुत्री महेन्द्र सिंह है एवं क्र.सं. 81 पर सिमो देवी पत्नी शिशपाल दर्ज है जबकि सहीनाम समाकौर पत्नी शिशपाल है जाति जाट निवासी ढीमा के रहने वाले है। ग्राम ढाणी ढीमा के खाता संख्या 39 की जमाबन्दी के क्र.सं. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12 पर प्रार्थीयागण का सही नाम दर्ज नहीं है उनका सही नाम मय परिचय पत्र व आधार कार्ड के साथ आवेद पत्र के क्र.सं. 1, 2, 3, 4 में मृतक दर्ज करते हुये उसके वारिशान क्र.सं. 4/1 लगा. 4/4 व 5, 6, एवं 7 के सही नाम दर्ज करने हेतु आवेदकगण यह आवेदन पत्र पेश कर रहे हैं। ग्राम मण्डाना की जमाबन्दी संवत् 2073–2078 के खाता संख्या 44 के क्र.सं. 4 पर दर्ज का सही नाम आवेदन पत्र के क्र.सं. 2 पर दर्ज है तथा क्र.सं. 7 का सही नाम आवेदन पत्र के क्र.सं. 3 पर दर्ज है तथा क्र.सं. 8 में मृतक दर्ज करते हुये उनके वारिशान के नाम क्र.सं. 8/1 लगा. 8/6 पर दर्ज है तथा क्र.सं. 11 का सही नाम आवेदन पत्र के क्र.सं. 5 पर दर्ज है एवं क्र.सं. 24 का सही नाम आवेदन पत्र के क्र.सं. 6 पर दर्ज है एवं उक्त जमाबन्दी के क्र.सं. 31 में दर्ज का सही नाम आवेदन पत्र के क्र.सं. 7 पर दर्ज है। इसी मुताबिक रेवेन्यू रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। ग्राम मण्डाना के खाता संख्या 43 की जमाबन्दी के क्र.सं. 3, 4, 5, 6, 8, 13, 16 व 17 में गलत नाम दर्ज है जिनके सही नाम आवेदन पत्र के क्र.सं. [illegible] 4 में मृतक दर्ज करके इनके वारिशान क्र.सं. 4/1 लगा. 4/4 तथा 5, 6, 7, 8 में [illegible] दर्ज करते हुये उसके वारिशान के रूप में क्र.सं. 8/1 लगा. 8/6 पर दर्ज कर रेवेन्यू दस्तावेज दुरूस्त किया जावे। ग्राम चुन्दाड़ा की जमाबन्दी संवत् 2075–2078 का खाता सं. 133 के क्र.सं. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12 में गलत नाम दर्ज है जिनके सही नाम आवेदन पत्र के क्र.सं. 1, 2, 3, 4 में मृतक दर्ज करके इनके वारिशान क्र.सं. 4/1 लगा. 4/4 एवं 5, 6, 7 में दर्ज है। इसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 12:16:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

मुताबिक रेवेन्यू रिकार्ड को दुरूस्त किया जावे। आवेदकगण ग्राम ढाणी ढीमा के खाता संख्या 11 एवं खाता संख्या 39 ग्राम गण्डाना के खाता संख्या 44 एवं खाता संख्या 43 की जमाबन्दीयों में आवेदकगण के नाम सही दर्ज नहीं है इसलिये रेवेन्यू दस्तावेज के जमाबन्दीयों में अपना सही नाम दर्ज करवाने हेतु आवेदन पत्र पेश करना आवश्यक हुआ।

अतः आवेदन पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदकगण का जमाबन्दीयों में दर्ज गलत नामों को दुरूस्त करते हुये रेवेन्यू जमाबन्दीयों में सही नाम दर्ज करते हुये रिकार्ड दुरूस्त करने की कृपा करें।

आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदक की तलबी जारी की गई। अनावेदक राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार, खेतड़ी ने जरिये पत्रांकः राजस्व/2022/757 दिनांक 03-08-2022 व पत्रांकः राजस्व/2022/756 दिनांक 03.08.2022 से पटवारी हल्का हरड़िया की मूल रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो शामिल पत्रावली की गई।

आवेदकगण ने साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबन्दी संवत् 2075-2078 खाता सं. 11, खाता सं. 39 ग्राम ढाणी ढीमा, नकल जमाबन्दी संवत् 2075-2078 खाता सं. 43, खाता सं. 44 ग्राम गण्डाना, नकल जमाबन्दी संवत् 2075-2078 खाता सं. 133 ग्राम चुन्दाड़ा, फोटो प्रति आधार कार्ड करन सिंह, भारत सरकार गृह मंत्रालय केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा जारी करण सिंह का पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र समाकोर, परिवार राशन कार्ड वीर सिंह पुत्र शीशपाल, मतदाता पहचान पत्र ज्ञानवती , आधार कार्ड ज्ञानवती, आयकर विभाग का पहचान पत्र दुर्गा, आधार कार्ड दुर्गा देवी, आधार कार्ड व मतदाता पहचान पत्र ओमवती, आधार कार्ड व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंक तालिका रेनू कुमारी, मृत्यु प्रमाण पत्र जमुना देवी, राजना व प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत हरड़िया पेश किये गये।

बहस अधिवक्ता आवेदकगण सुनी गई। तहसीलदार खेतड़ी को जांच रिपोर्ट क्रमांकः राजस्व/2022/757 दिनांक 03-08-2022, 756 दिनांक 03.08.2022 पर सुना गया। तहसीलदार ने पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का हरड़िया की जांच रिपोर्ट दिनांक 30.06.2022 के अनुसार आवेदकगण का आवेदन पत्र स्वीकार करने पर अपनी सहमति प्रकट की है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया। पत्रावली पर आवेदकगण द्वारा पेश राजस्व रिकार्ड, तहसीलदार खेतड़ी के पत्र क्रमांकः राजस्व/2022/757 दिनांक 03-08-2022, 756 दिनांक 03.08.2022 के संलग्न पटवारी हल्का हरिड़या की जांच रिपोर्ट दिनांक 30.06.2022 के मुताबिक आवेदकगण का आवेदन पत्र संदेह से परे साबित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 12:16:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

आदेश

अतः आवेदकगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रुप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :—

क्र.सं.	राजस्व ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है
1	चुन्दाड़ा (संवत् 2075—2078)	133	ओम पुत्री शिशपाल करण सिंह पुत्र शिशपाल ज्ञाना पुत्री शिशपाल जिम्मी पुत्र शिशपाल दुर्गा पुत्री शिशपाल रेणु पुत्री महेन्द्र सिमोदेवी पत्नी शिशपाल	ओमवती पुत्री शिशपाल करन सिंह पुत्र शिशपाल ज्ञानवती पुत्री शिशपाल जमुना देवी पुत्री शिशपाल दुर्गा देवी पुत्री शिशपाल रिनू कुमारी पुत्री महेन्द्र समाकौर पत्नी शिशपाल
2	ढाणी ढीमा (संवत् 2075—2078)	11	ओम पुत्र शिशपाल कर्णसिंह पुत्र शिशपाल ज्ञाना पुत्र शिशपाल जिम्मी पुत्र शिशपाल दुर्गा पुत्र शिशपाल रेणू पुत्री महेन्द्र सिमोदेवी पत्नी शिशपाल	ओमवती पुत्री शिशपाल करन सिंह पुत्र शिशपाल ज्ञानवती पुत्री शिशपाल जमुना देवी पुत्री शिशपाल दुर्गा देवी पुत्री शिशपाल रीनू कुमारी पुत्री महेन्द्र समाकौर पत्नी शिशपाल
3	ढाणी ढीमा (संवत् 2075—2078)	39	ओम पुत्री शिशपाल कर्ण सिंह पुत्र शिशपाल ज्ञाना पुत्री शिशपाल जिम्मी पुत्री शिशपाल दुर्गा पुत्री शिशपाल रेणु पुत्री महेन्द्र सिमो देवी पत्नी शिशपाल	ओमवती पुत्री शिशपाल करन सिंह पुत्र शिशपाल ज्ञानवती पुत्री शिशपाल जमुना देवी पुत्री शिशपाल दुर्गा देवी पुत्री शिशपाल रीनू कुमारी पुत्री महेन्द्र समाकौर पत्नी शिशपाल
4	मण्डाना (संवत् 2075—2078)	43	ओम पुत्री शिशपाल कर्ण सिंह पुत्र शिशपाल ग्याना पुत्री शिशपाल जमीना पुत्र शिशपाल दुर्गा पुत्री शिशपाल रिना पुत्री महेन्द्रसिंह	ओमवती पुत्री शिशपाल करन सिंह पुत्र शिशपाल ज्ञानवती पुत्री शिशपाल जमुना देवी पुत्री शिशपाल दुर्गा देवी पुत्री शिशपाल रीनू कुमारी पुत्री महेन्द्र
5	मण्डाना (संवत् 2075—2078)	44	करणसिंह पुत्र शिशपाल ज्ञाना पुत्र शिशपाल जमना पुत्र शिशपाल दुर्गा पुत्र शिशपाल रीना पुत्र महेन्द्र	करन सिंह पुत्र शिशपाल ज्ञानवती पुत्री शिशपाल जमुना देवी पुत्री शिशपाल दुर्गा देवी पुत्री शिशपाल रीनू कुमारी पुत्री महेन्द्र

उपरोक्त राजस्व ग्रामों की जमाबन्दीयों में शुद्ध की गई प्रविष्टियों के अलावा पूर्व से दर्ज प्रविष्टियां यथावत् रहेंगी। रहन यदि कोई हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही आदेश का अमल हो। उक्तानुसार पालना हेतु तहसीलदार, खेतड़ी को इस आशय की तहरीर जारी हो। आवेदन पत्र में विरासत नामांतरकरण [illegible] के लिए आवेदकगण तहसीलदार, खेतड़ी के यहां चाराजोही करे।

निर्णय आज दिनांक 12—08—2022 को खुले न्यायालय में सुनायी गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 12:16:16 IST
Reason: SelfAttested

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी